[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख ....,2022.

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह ग पद), भर्ती नियमावली, 1980 का, जहां तक मोची पद का संबंध है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में मोची ग्रेड-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु में मोची ग्रेड-I (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 होगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
मोची ग्रेड-I ।	02* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सरकार सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रु.) ।	लागू नहीं होता।	18-25 वर्ष के बीच* * यदि भर्ती अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18 एवं 27 वर्ष के बीच होगी। (जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालीस वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है)।	अनिवार्य: 1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से साथ12वीं उत्तीर्ण 2. (i) किसी मान्यता प्राप्त केन्द्रीय/राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ वोकेशनल संस्थान से ऑर्थोटिक शूज़ एवं उपकरण में दो वर्षीय डिप्लोमा	लागू नहीं होता।	दो वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (शोर्ट-टर्म संविदा सहित) सीधी भर्ती न होने पर प्रोन्नति द्वारा।

					टिप्पण1: आयु-सीमा का निर्धारण की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिला तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।	(ii) ऑर्थोटिक शूज एवं ऑर्थोपेडिक उपकरण को बनाने के ट्रेड में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1. यदि अन्यथा सुपात्र है तो सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अर्हताएं शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधी उम्मीदवारों के मामले में, यदि चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के पर्याप्त अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के मिलने की संभावना नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर इन वर्गों के अभ्यर्थियों को अनुभव से संबंधित योग्यता में छूट दे सकता है।			

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्तिः- (लघु अवधि संविदा सहित) प्रोन्नतिः केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारी जो (क) (i) वे अधिकारी जो मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर किसी समान पद पर पदस्थ हैं; वेतन मैट्रिक्स (18000-56900) में स्तर 3 में या मूल केडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति पश्चात मोची ग्रेड-II में 3 वर्ष की सेवा। (ख) स्तंभ -7 के अंर्तगत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित अर्हता और अनुभव टिप्पणः ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा के साथ वेतन स्तर-I में विभागीय मोची ग्रेड-II और प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते है, वे भी बाहरियों के साथ विचारणीय हैं, यदि विभागीय उम्मीदवार पद के लिए चयनित होता है तो वो प्रोन्नति द्वारा भरा माना जाएगा।	विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान चैंगलपट्टु- अध्यक्ष 2.उप निदेशक (ऑर्थो), केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान चैंगलपट्टु - सदस्य 3. सहायक निदेशक (सर्जीकल), केन्द्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान चैंगलपट्टु - सदस्य 4. केन्द्रीय/ राज्य सरकार के किसी अन्य कार्यालय क्षेत्र के राजपत्रित अधिकारी- सदस्य	आवश्यक नहीं

फा.सं. ए.12018/22/2019-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार